भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 93*

जिसका उत्तर शुक्रवार, 24 जुलाई, 2026/2 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों के आयात पर निर्भरता

93* श्री विशालदादा प्रकाशबाबू पाटील:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आयातित उर्वरक आदानों, विशेषकर यूरिया के लिए प्राकृतिक गैस तथा फॉस्फेट एवं पोटाशयुक्त उर्वरकों के आयात पर देश की अत्यधिक निर्भरता का व्यापक आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पुराने हो रहे यूरिया संयंत्रों की प्रचालन दक्षता और उत्पादकता का मूल्यांकन किया है और उनकी ऐसी स्थिति में घरेलू उर्वरक उत्पादन और उनकी लागत पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयात पर निर्भरता, पुराने हो रहे यूरिया संयंत्र और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में उतार-चढ़ाव कृषि उत्पादकता और किसानों की आय के लिए दीर्घकालिक असुरक्षाएं पैदा कर रहे हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पुराने संयंत्रों के उन्नयन और नई ग्रीनफील्ड या ब्राउनफील्ड परियोजनाओं सहित घरेलू उर्वरक विनिर्माण क्षमता के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ड.) आयात पर निर्भरता को कम करने, आदान लागत को स्थिर करने और राजसहायता प्राप्त उर्वरकों के विपथन और कालाबाजारी को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है?

रसायन एवं उर्वरक तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ड़.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'उर्वरकों के आयात पर निर्भरता' के संबंध में श्री विशालदादा प्रकाशबाबू पाटील द्वारा पूछे गए दिनांक 24.07.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.93* के उत्तर के भाग (क) से (ड़.) में उल्लिखित विवरण:

(क) से (ड.): उर्वरकों के निर्बाध उत्पादन और उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार उर्वरक के महत्वपूर्ण आदानों की उपलब्धता की लगातार निगरानी करती है। प्राकृतिक गैस यूरिया उत्पादन के लिए प्रमुख फीडस्टॉक है। चूंकि उर्वरक क्षेत्र की आवश्यकता के मुकाबले घरेलू प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सीमित है, इसलिए मांग को घरेलू प्राकृतिक गैस और आयातित पुनः गैसीकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस (आरएलएनजी) दोनों के माध्यम से पूरा किया जाता है। सरकार ने गैस आधारित यूरिया संयंत्रों के लिए प्राकृतिक गैस की एक समान पूल्ड कीमत की सुविधा के लिए यूरिया क्षेत्र के लिए एक गैस पूलिंग तंत्र भी लागू किया है।

संबंधित अवधि के दौरान उर्वरक क्षेत्र द्वारा घरेलू प्राकृतिक गैस और आरएलएनजी की खपत निम्नानुसार है:

उर्वरक क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की खपत (एमएमएससीएम में)			
वित्तीय वर्ष	**घरेलू (एमएमएससीएम)**	**आरएलएनजी (एमएमएससीएम)**	**कुल (एमएमएससीएम)**
2025-26	2,887	16,762	19,649
2026-27 (अप्रैल- मई 2026) (पी)	428	2,562	2,990

स्रोत : पेट्रोलियम प्लानिंग एण्ड एनालिसिस सेल (पीपीएसी)

सरकार ने घरेलू यूरिया उत्पादन को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें बंद पड़ी यूरिया इकाइयों को पुनर्जीवित करना, ऊर्जा-कुशल उत्पादन को बढ़ावा देना, नए निवेश को प्रोत्साहित करना और उर्वरक क्षेत्र को प्राकृतिक गैस का पहले आवंटन करना शामिल है। इन उपायों का उद्देश्य स्वदेशी यूरिया उत्पादन को बढ़ाना और किसानों को उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

यूरिया संयंत्रों की प्रचालन दक्षता का आकलन समय-समय पर उनकी ऊर्जा खपत के आधार पर किया जाता है, जो नई यूरिया नीति-2015 के प्रावधानों के तहत प्रचालनरत है। सरकार ने ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने और प्रचालन प्रदर्शन में सुधार को प्रोत्साहित करने के लिए समय-समय पर यूरिया इकाइयों के लिए ऊर्जा मानदंडों को भी अधिसूचित किया है। हाल ही में, 01.04.2025 से लागू होने वाले नए ऊर्जा मानदंड (एनईएन) को सरकार द्वारा संयंत्रों की ऊर्जा दक्षता को और बढ़ाने के लिए अनुमोदित किया गया है।

सरकार ने बंद पड़ी यूरिया इकाइयों को आधुनिक और ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकी के साथ पुनर्जीवित करने और नए गैस-आधारित यूरिया संयंत्रों की स्थापना सहित घरेलू यूरिया उत्पादन को बढ़ाने के लिए उपाय किए हैं। यूरिया के संबंध में, सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को सुविधाजनक बनाने और यूरिया क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 जनवरी, 2013 को नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 की घोषणा की और 7 अक्टूबर, 2014 को इसमें संशोधन किया। एनआईपी-2012 के तहत कुल 6 नई यूरिया इकाइयां स्थापित की गई हैं जिनमें नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संयुक्त उद्यम कंपनियों (जेवीसी) के माध्यम से स्थापित 4 यूरिया इकाइयां और निजी कंपनियों द्वारा स्थापित 2 यूरिया इकाइयां शामिल हैं। तेलंगाना में रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) की रामागुण्डम यूरिया इकाई तथा हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) की 3 यूरिया इकाइयां नामत: गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी क्रमश: उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में जेवीसी के माध्यम से स्थापित इकाइयां हैं। पश्चिम बंगाल में मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (मैटिक्स) की पानागढ़ यूरिया इकाई; और राजस्थान में चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल) की गड़ेपान-।।। यूरिया इकाई निजी कंपनियों द्वारा स्थापित इकाइयां हैं। इनमें से प्रत्येक इकाई की संस्थापित क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एलएमटीपीए) है। ये इकाइयां अत्यधिक ऊर्जा दक्ष हैं क्योंकि ये अद्यतन प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं। अत:, इन इकाइयों ने मिलकर यूरिया उत्पादन क्षमता में 76.2 एलएमटीपीए की वृद्धि की है जिससे वर्ष 2014-15 के दौरान रही 207.54 एलएमटीपीए की कुल स्वदेशी यूरिया उत्पादन क्षमता (पुनर्आकलित क्षमता, आरएसी) वर्ष 2026-27 के दौरान बढ़कर 269.42 एलएमटीपीए हो गई है। इसके अलावा, कोयला गैसीकरण रूट पर 12.7 एलएमटीपीए का एक नया ग्रीनफील्ड यूरिया संयंत्र स्थापित करके नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की जेवीसी नामत: तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) के माध्यम से एफसीआईएल की तालचेर इकाई को पुनर्जीवित करने के लिए एक विशेष नीति भी अनुमोदित की गई है। हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ब्रह्मपुत्र वैली फ़र्टिलाइज़र कारपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल), नामरूप असम के मौजूदा परिसर के भीतर 12.7 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता के एक नए ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया कॉम्प्लेक्स की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। दोनों क्रियान्वयन के चरण में हैं।

इसके अलावा, सरकार ने आरएसी से अधिक स्वदेशी यूरिया उत्पादन को अधिकतम करने के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य के साथ मौजूदा 25 गैस आधारित यूरिया इकाइयों के लिए नई यूरिया नीति (एनयूपी) - 2015 को 25 मई, 2015 को अधिसूचित किया। एनयूपी-2015 के कारण 2014-15 की तुलना में प्रतिवर्ष 20-25 एलएमटी अतिरिक्त यूरिया का उत्पादन हुआ है।

उपर्युक्त उपायों से यूरिया उत्पादन वर्ष 2014-15 के दौरान रहे 225 एलएमटी प्रति वर्ष के स्तर से बढ़कर वर्ष 2023-24 के दौरान 314.07 एलएमटी के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है तथा वर्ष 2025-26 के दौरान देश में 293.30 एलएमटी यूरिया का उत्पादन हुआ।

इसके अलावा, 15.07.2026 को, सीसीईए ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेशों को करने के लिए आत्मनिर्भर भारत के लिए यूरिया की नई निवेश नीति (एनआईपीयू) - 2026 को मंजूरी दी है।

सरकार ने फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के लिए 01.04.2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) स्कीम लागू की है। इस स्कीम के तहत, पीएंडके उर्वरकों को मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के तहत शामिल किया जाता है और कंपनियां अपने व्यावसायिक उतार- चढ़ाव के अनुसार इन उर्वरकों का आयात/उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

आयातित फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों पर निर्भरता कम करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के लिए 01.04.2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) स्कीम लागू की है। इस स्कीम के तहत, पीएंडके उर्वरकों को मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के तहत शामिल किया जाता है और कंपनियां अपने व्यावसायिक उतार- चढ़ाव के अनुसार इन उर्वरकों का आयात/उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके अतिरिक्त, एमआरपी की तर्कसंगतता पर दिनांक 18.01.2024 को जारी दिशानिर्देश के माध्यम से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उपाय किए गए हैं, जिसमें आयातकों/उत्पादकों और एकीकृत उत्पादकों को क्रमशः 8%/10% और 12% का उचित लाभ दिया जाता है। अनुरोधों के आधार पर, एनबीएस सब्सिडी स्कीम के तहत नई उत्पादन इकाइयों अथवा मौजूदा इकाइयों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने को अहमियत दी गई है/संज्ञान में लिया गया है। एनबीएस नीति के तहत शामिल किए गए पीएण्डके उर्वरकों की संख्या वर्ष 2021 की 22 ग्रेड से बढ़ाकर 28 ग्रेड कर दी गई है। मृदा में फॉस्फेटयुक्त अथवा 'पी' पोषक तत्व प्रदान करने हेतु एसएसपी, जो एक स्वदेशी रूप से उत्पादित उर्वरक है, के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इस पर मालभाड़ा सब्सिडी, खरीफ, 2022 से लागू की गई है। इसके अलावा, एनबीएस स्कीम के तहत उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पोषक तत्वों की दरें द्विवार्षिक आधार पर तय की जाती हैं।

देश में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में उठाए जाने वाले कदम इस प्रकार हैं:

I. प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से, उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है।

II. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा आकलित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को उर्वरकों का यथेष्ट/पर्याप्त मात्रा में आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

III. देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है;

IV. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) और उर्वरक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य कृषि अधिकारियों के साथ नियमित साप्ताहिक वीडियो कान्फ्रेंस की जाती है और राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उर्वरकों को भेजने की सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

V. राज्य के भीतर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

VI. उर्वरकों की मांग और स्वदेशी उत्पादन के बीच के अंतर को काफी पहले आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। ताकि देश में उर्वरकों की पर्याप्त और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

तदनुसार, चल रहे खरीफ मौसम 2026 (दिनांक 01.04.2026 से 19.07.2026 तक) के दौरान देश में उर्वरकों की उपलब्धता पर्याप्त बनी रही। उक्त की अवधि के दौरान देश में उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता, बिक्री और शेष स्टॉक के बारे में जानकारी **अनुलग्नक** में दी गई है।

उर्वरकों की कालाबाजारी, घटिया उर्वरक पाए जाने, जमाखोरी और विपथन जैसे मामलों का समाधान करने के लिए उर्वरकों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत एक आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया गया है और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत अधिसूचित किया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकारों को उक्त कदाचारों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। इन कदाचारों के संबंध में उर्वरक विभाग स्तर पर प्राप्त होने वाली कोई भी शिकायत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के अंतर्गत उचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकार को भेजी जाती है। हालांकि, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) राज्य सरकार के साथ परामर्श करके कालाबाजारी, जमाखोरी, घटिया उर्वरक पाए जाने और विपथन संबंधी मामलों के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा की गई प्रवर्तन कार्रवाई की साप्ताहिक आधार पर नियमित रूप से निगरानी कर रहा है। देश में, 01.04.2026 से 17.07.2026 तक 1,58,886 छापे मारे गए हैं जिनमें से चूककर्ताओं के खिलाफ 8,262 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, 2,692 लाइसेंस निलंबित/रद्द कर दिए गए हैं और 247 एफआईआर दर्ज की गई हैं।

इसके अलावा, सरकार राज्य सरकार के साथ परामर्श करके कालाबाजारी, जमाखोरी, घटिया उर्वरक पाए जाने और विपथन संबंधी मामलों के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा की गई प्रवर्तन कार्रवाई की साप्ताहिक आधार पर नियमित रूप से निगरानी कर रहा है। देश में, वर्ष 2025 में, 4,84,663 छापे मारे गए हैं जिनमें से चूककर्ताओं के खिलाफ 17,392 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, 6,941 लाइसेंस निलंबित/रद्द कर दिए गए हैं और 847 एफआईआर दर्ज की गई हैं। अप्रैल, 2026 से अब तक 1,43.095 छापे मारे गए हैं जिनमें से चूककर्ताओं के खिलाफ 8,060 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, 2,636 लाइसेंस निलंबित/रद्द कर दिए गए हैं और 214 एफआईआर दर्ज की गई हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नियमित रूप से चूककर्ताओं के खिलाफ सख्ती से प्रवर्तन कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार से सम्पर्क रखता है।

अनुलग्नक

यह अनुलग्नक 24.07.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.93* के उत्तर के भाग (क) से (ड.) से संबंधित है।

अखिल भारत

मौजूदा खरीफ़ 2026 (01.04.26 से 19.07.26 तक) के दौरान उर्वरकों की उपलब्धता

आंकड़े एलएमटी में

क्रम.सं	**उत्पाद**	**आवश्यकता**	**उपलब्धता**	**डीबीटी बिक्री**	19.07.26 **को शेष स्टॉक**
1	**यूरिया**	109.40	163.78	94.78	69.01
2	**डीएपी**	31.57	39.54	22.82	16.72
3	**एमओपी**	10.06	13.81	5.20	8.63
4	**एनपीकेएस**	48.48	84.57	39.36	45.21

1. सहज उपलब्धता का प्राथमिक संकेतक: उपलब्धता **>** आवश्यकता
2. सहज उपलब्धता का द्वितीयक संकेतक: उपलब्धता **>** बिक्री